



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 17.06.2022

1-थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ जनपद गाजियाबाद से 15,000 रूपये का इनामी व गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 17/06/2022 को थाना जेवर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ जनपद गाजियाबाद से 15,000 रूपये का इनामी व गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मौहम्मद अली पुत्र शेर मौहम्मद निवासी नगला जहानू, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के ग्राम दयानतपुर रबुपुरा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त थाना सिहानी गेट से मु0अ0सं0 78/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित था जिसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रूपये का इनाम घोषित था।

अभियुक्त का विवरण:

मौहम्मद अली पुत्र शेर मौहम्मद निवासी नगला जहानू, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 689/2017 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 78/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिहानी गेट, जनपद गाजियाबाद।
- 3.मु0अ0सं0 223/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस



2- थाना फेस-3 पुलिस द्वारा धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले गैंग के लीडर के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

दिनांक 16/06/2022 को थाना फेस-3 पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त महोदय की संस्तुति के बाद धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले गैंग लीडर अनिल चौहान पुत्र करतार सिंह निवासी गली नं0-3, ग्राम ममूरा, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

विवरण:

गैंग लीडर अनिल चौहान पुत्र करतार सिंह अपने 02 अन्य साथियों की मदद से धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन पर अवैध कब्जा करने का कार्य करता है जिसको गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये थाना फेस-3 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-303/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

अनिल चौहान पुत्र करतार सिंह निवासी गली नं0-3, ग्राम ममूरा, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0-303/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-180/2021 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर बनाम अनिल चौहान व 02 अन्य।
3. मु0अ0सं0-1309/2019 धारा 447 भादवि व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0-1223/2019 धारा 420/406 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0-1315/2017 धारा 447 व 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

3- थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा 02 लुटेरें/चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी/लूट के 05 मोबाइल फोन, 01 स्कूटी व 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 17.06.2022 को थाना फेस-1 नोएडा पुलिस द्वारा 02 लुटेरें/चोर 1. दीपक पुत्र इन्द्र सिंह अलमिया निवासी वन्दना एन्कलेव गली, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद 2. धीरज उर्फ अनुज पुत्र मोहन कुमार निवासी न्यू अशोक नगर, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली मूल निवासी ग्राम मार्डपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के संदीप पेपर मिल चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/लूट के 05 मोबाइल फोन, 01 स्कूटी व 02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये हैं। अभियुक्त स्कूटी पर सवार होकर राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने की घटनायें कारित हैं।

अभियुक्तों का विवरण:

1.दीपक पुत्र इन्द्र सिंह अलमिया निवासी वन्दना एन्कलेव गली, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद।

2.धीरज उर्फ अनुज पुत्र मोहन कुमार निवासी न्यू अशोक नगर, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली मूल निवासी ग्राम मारुडपुर, थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु0अ0सं0 252/22 धारा 411/414 भादवि बनाम दीपक व धीरज उर्फ अनुज थाना फेस-1, नोएडा।

2.मु0अ0सं0 251/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम धीरज उर्फ अनुज थाना फेस-1, नोएडा।

3.मु0अ0सं0 250/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम दीपक थाना फेस-1, नोएडा।

4.मु0अ0सं0 248/22 धारा 392 भादवि थाना फेस-1, नोएडा।

बरामदगी का विवरण:

1.चोरी/लूट के 05 मोबाइल फोन

2.01 स्कूटी

3.02 अवैध तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस

